

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2016—श्रावण 7, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग

(अधीक्षण शाखा)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्र. एफ. 22-49-1985-एक-स्था.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सचिवालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में टिप्पणी (4) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए, अर्थात् :—

“(5) अनुसूची के कालम (2) में भृत्य, फर्श, वाटरमैन, चौकीदार, वात्वमैन और स्वीपर के लिए निःशक्त अभ्यार्थियों के लिए साईकिल चालन परीक्षण से छूट प्राप्त होगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एन. चौहान, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्र. एफ. 22-49-1985-एक-स्था.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्रमांक एफ.-22-49-1985-एक-स्था.-2, दिनांक 22 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एन. चौहान, अवर सचिव.

Bhopal, the 22nd July 2016

F. NO. 22-49-1985-I-Estt.2.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Secretariat (Class-IV) Service Recruitment Rules, 1987, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule, after Note (4), the following Note shall be added at the end, namely :—

“(5) For the post of Peon, Farrash, Waterman, Chowkidar, Vovemen and Sweeper shown in column (2) of the Schedule, Cycling test shall be exempted only for physically challenged persons.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. N. CHOUHAN, Under Secy.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2016

अधिसूचना क्रमांक-भ.स.क.म.म-2016-3516-1.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-5905, दिनांक 13 मार्च, 2015 भाग-4(ग) द्वारा दोपहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना लागू की गई थी, दिनांक 30 अप्रैल 2016 तक ही प्रभावशील रहेगी. इसके पश्चात् अर्थात् 1 मई 2016 से यह योजना एतद्वारा समाप्त घोषित की जाती है।

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2016

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म-2016, 3516-2.— इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स. क.क.म.-8168, दिनांक 21 अगस्त, 2015 भाग-4 (ग) तथा संशोधन दिनांक 18 दिसम्बर 2015 द्वारा “पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना” प्रकाशित की गई थी, उक्त योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

संशोधन

1. योजना की कंडिका "घ" योजना का विवरण — 1. योजनांतर्गत पात्रताधारी निर्माण श्रमिक के स्वयं अथवा परिवार (योजना की कंडिका ग में उल्लेखित) के किसी सदस्य के नाम से मकान होने पर मकान में शौचालय निर्माण हेतु रू. 15,000 का अनुदान जीवनकाल में एक बार दिया जायेगा।

के स्थान पर

योजना की कंडिका "घ" योजना का विवरण — 1. योजनांतर्गत पात्रताधारी निर्माण श्रमिक के स्वयं अथवा परिवार (योजना की कंडिका ग में उल्लेखित) के किसी सदस्य के नाम से मकान होने पर मकान में शौचालय निर्माण हेतु रू. 12,000 का अनुदान जीवनकाल में एक बार दिया जायेगा।

2. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका ड में "तीन वर्ष तक वैध परिचय पत्रधारी वे निर्माण श्रमिक ही योजनांतर्गत पात्र होंगे"

के स्थान पर

"छः माह तक वैध परिचय पत्रधारी वे निर्माण श्रमिक ही योजनांतर्गत पात्र होंगे" प्रतिस्थापित किया जाता है।

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म-2016, 3516-3.— इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-4069, दिनांक 05 दिसम्बर 2014 द्वारा "व्यावसायिक (यूजी/पीजी)" पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना 2014 पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् —

संशोधन

1. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका ग(1) में "न्यूनतम 3 वर्ष से वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्यो"

के स्थान पर

"न्यूनतम 2 वर्ष से वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्यो" प्रतिस्थापित किया जाता है।

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म-2016, 3516-4.— इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स. क.क.म.-4069, दिनांक 05 दिसम्बर 2014 द्वारा "औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना" पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् —

संशोधन

1. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका ग(2) में "5 वर्ष में एक बार अनुदान टूलकिट की वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 1500 रुपये, दोनो में से जो कम हो" के स्थान पर "5 वर्ष में एक बार अनुदान टूलकिट की वास्तविक कीमत का 75 प्रतिशत अथवा 5000 रुपये, दोनो में से जो कम हो" प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका घ "3 वर्ष तक सतत वैध परिचय पत्रधारी" के स्थान पर "2 वर्ष तक वैध परिचय पत्रधारी" प्रतिस्थापित किया जाता है।

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म-2016, 3516-5.— इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स. क.क.म.-5905, दिनांक 13 मार्च, 2015 भाग-4(ग) द्वारा "साईकिल अनुदान योजना 2014" पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् —

संशोधन

1. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका ग में "निर्माण श्रमिक जो लगातार 3 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत है" के स्थान पर "निर्माण श्रमिक जो लगातार 2 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत है" प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका घ(1) "निर्माण श्रमिक द्वारा सायकल क्य का बिल प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 2500 जो भी कम हो" के स्थान पर "निर्माण श्रमिक द्वारा सायकल क्य का बिल प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 4000 जो भी कम हो" प्रतिस्थापित किया जाता है।

एस. एस. दीक्षित, सचिव.